कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure Facilities for Court and Judicial Quarters) की बैठक

–: कार्यवाही विवरण :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक 380 दिनांक 26.06.2019 की पालना में न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु आधारभूत सुविधाओं की आज **दिनांक 06.07.2023** को जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के अवकाशागार में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत न्यायालय परिसर में आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा एवं विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री अजय शर्मा (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा)	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष मोदी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	सदस्य
3.	सुषमा शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	सदस्य
4.	श्री पी.आर. मीणा अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. भीलवाड़ा	सदस्य

इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 1022/89, ऑल इण्डिया एसोसिएशन वगैरा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वगैरा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2018 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में पूर्व में भी समय–समय पर प्रशासन दिशा निर्देश को दिए गए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर भी इस बैठक में विचार–विमर्श किया गया।

तत्पश्चात् माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन अन्य याचिका सं. 1867/06, मलिक मजर सुल्तान व अन्य बनाम उ.प्र. पब्लिक सर्विस कमीशन में पारित आदेश दिनांक 17.01.2019 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में भीलवाडा मुख्यालय के अतिरिक्त 11 मुख्यालय जो क्रमशः निम्न प्रकार है –

(i)	शाहपुरा	(vi)	जहाजपुर
(ii)	गुलाबपुरा	(vii)	आसीन्द
(iii)	गंगापुर	(viii)	कोटड़ी
(iv)	माण्डलगढ़	(ix)	सुवाणा
(v)	बिजौलियां	(x)	रायपुर
		(xi)	मांडल

में वांछित आधारभूत सुविधाओं बाबत् प्रस्ताव जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक 183 दिनांक 20.02.2019 द्वारा श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित किए हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बार एसोसिएशन, राजगढ़ बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2019 में भी अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं जैसे न्यायालय भवन, न्यायिक आवास, अधिवक्तागण हेतु चैम्बर्स, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन व्यवस्था, पक्षकारान हेतु बैठक व्यवस्था, उपहार गृह (केन्टीन), सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए है तथा इस बाबत् सूचना जरिये पत्र क्रमांक 8805 दिनांक 02.08.2019 से श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित की गई।

भीलवाडा न्यायक्षेत्र में मुख्यालय पर वर्तमान स्थिति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भविष्य की संरचनाओं एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय भवन, न्यायिक आवास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव निम्न प्रकार है :–

भीलवाडा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

भीलवाडा मुख्यालय पर वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड को सम्मिलित करते हुए 29 न्यायालय कार्यरत है। भीलवाडा न्यायालय परिसर में निम्न न्यायालयों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त परिसर नहीं है :–

1. श्रम न्यायालय
2. पारिवारिक न्यायालय संख्या–01, भीलवाड़ा
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा
4. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय–2
5. विशिष्ठ न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संख्या–01, भीलवाड़ा
6. विशिष्ठ न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संख्या–02, भीलवाड़ा
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, भीलवाड़ा
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व
9. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 1
10. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 2
11. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 3
12. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 4
13. वाणिज्यिक न्यायालय
14. पारिवारिक न्यायालय संख्या–02, भीलवाड़ा

उपरोक्त न्यायालयो में से 7 न्यायालय के भवन (पारिवारिक न्यायालय संख्या–02, भीलवाड़ा, पोक्सो सं.1, पोक्सो सं. 2, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एंनं.आई. एक्ट प्रकरण सं. 1, 2, 3 व 4) किराए के परिसर में संचालित है। इसी कम में श्रम न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित की जा रही है। दिनांक 26.05.2021 को विधि एवं विधिक कार्य विभाग भीलवाडा द्वारा जारी अधिसूचना तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कमांक 1262 दिनांक 04.06.2021 द्वारा भीलवाडा मुख्यालय पर वाणिज्यिक न्यायालय का सृजन किया गया है न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.संख्या–1 को किराये के भवन में शिफ्ट किए जाने से वाणिज्यिक न्यायालय एवं कार्यालय को एन.आई.संख्या–1 के परिसर में संचालित किया जा रहा हैं। वर्तमान में कई संचालित न्यायालयों हेतु पर्याप्त व उपयुक्त परिसर नहीं है, न ही पार्किंग व अन्य सुविधाऐं समुचित है। न्यायालय एम.ए.सी.टी.संख्या–2 के न्यायालय के संचालन के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्ट्रट, परिसर में भवन उपलब्ध करवा दिया गया है। न्यायालय पारिवारिक न्यायालय संख्या–02 किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।

इसी के साथ भीलवाडा मुख्यालय पर न्यायालय एवं आवसीय भवन में आधारभूत सुविधाओं हेतु 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु कार्यवाही की गई, परन्तु वर्तमान में **राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक भूमि/एफ.7(ड)(24)/डीएलबी/2018/18396, दिनांक 10.09.2021 से जिला न्यायालय परिसर हेतु 18.00 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृती प्रदान की गई है।**

उक्त भूमि आवंटन बाबत् एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अध्यधीन हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक लेखा/भवन/VII/C/2/75/भीलवाड़ा/401 दिनांक 22.07.2022 से संलग्न पत्र द्वारा प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर का पत्रांक पं.27(8)न्याय/2019/पार्ट दिनांक 12.07.2022 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर को जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा को ग्राम सांगानेर, भीलवाड़ा की आराजी नंबर 1344 रकबा 143–15 बीघा में से 50 बीघा भूमि व अन्य अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करने की कार्यवाही शीघ्र करवाकर की गई कार्यवाही से रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर को अवगत कराने से स्थानीय प्रशासन, भीलवाड़ा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर उक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शीघ्र कार्यवाही करें। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा तथा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर)**

प्रस्ताव :–

1– वर्तमान में भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर में न्यायालयों के लिए पर्याप्त व उपयुक्त परिसर नहीं है, सात न्यायालय किराये के परिसर में तथा दो न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित हो रहे हैं। न्यायालय भवनों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी अपर्याप्तता तथा भविष्य में और न्यायालय खुलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायालय परिसर में उपस्थित आने वाले पक्षकारान् व अधिवक्तागण की संख्या को देखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों से न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास की आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र कमांक 18396, दिनांक

10.09.2021 को न्यायालय परिसर हेतु 18 बीघा भूमि के आवंटन की स्वीकृति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन रिट याचिका रखा जाना उचित होगा।

Vulnerable Witness Deposition Centre (VWDC) स्थापित करने के क्रम में:–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक III(i)(Bld)/Budget/Plan/VWDC/51/568 दिनांक 08/05/2023 द्वारा भीलवाड़ा मुख्यालय पर Vulnerable Witness Deposition Centre (VWDC) स्थापित करने हेतु कुल राशि 37.49 लाख (VWDC Room के निर्माण हेतु राशि 13.10 लाख, फर्नीचर के लिए राशि 13.53 लाख व VC Equipments के लिए राशि 10.86 लाख) आवंटित की गई है। जिसके संबंध में अधीक्षण अभियन्ता/ अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिविल), भीलवाड़ा अध्यक्ष, Vulnerable Witness Deposition Centre Committee (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01), भीलवाड़ा से समन्वय स्थापित कर उक्त VWDC के कार्य हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता/ अधिषाशी अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा अध्यक्ष, Vulnerable Witness Deposition Centre Committee (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01), भीलवाड़ा)**

भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर

भीलवाड़ा मुख्यालय पर 29 न्यायालय है जिनके पीठासीन अधिकारियों के आवास के संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित बजट से 11 आवास निर्मित है, जिनमें टाईप–1 के पॉच, टाईप–2 के एक तथा टाईप–3 के पांच आवास निर्मित है। इसके अलावा दो भवन जिला पूल द्वारा ईयरमार्क है, जिनमें से एक भवन में श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय व एक भवन में MACT-01 के पीठासीन अधिकारी के लिए ईयरमार्क है। पीठासीन अधिकारियों की संख्या और उनके स्तर को दृष्टिगत रखते हुए भीलवाड़ा मुख्यालय पर वर्तमान आवासों के अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए 20 ओर आवासों की आवश्यकता है, जो श्रेणीवार निम्नलिखित है

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	आवास संख्या
1.	स्पेशल टाईप–1	1
2.	टाईप–1	13
3.	टाईप–2	6

भीलवाडा मुख्यालय पर स्थित टाईप–3 के समस्त राजकीय आवासों में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष जरिये पत्रांक 131 दिनांक 18.12.2020 प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र कमांक 916 दिनांक 12/11/2014 के अनुरूप वर्तमान में टाईप–3 मकान में रहने वाले अधिकारियो के आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप– 2 स्तर के मकान के अनुरूप बनाया जाना जाकर टाईप–2 स्तर के आवासों में क्रमोन्नत किया जाना है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22.08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु न्यायालय भवन के लिए भीलवाडा मुख्यालय पर आवंटित होने वाली 18 बीघा भूमि के लगती/समीप पृथक से 15 बीघा पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

अतः पांच टाईप–3 के आवासों को टाईप 02 के स्तर के आवासों में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर कमोन्नत करने के लिए पूर्व में पत्र कमांक 131 दिनांक 18.12.2020 द्वारा बजट आवंटन हेतु मांग पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को भेजा गया था तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित हैं। शेष आवासीय परिसर का निर्माण 50 बीघा भूमि के आवंटन पर निर्भर है, वर्तमान में आवंटित की गई 18 बीघा भूमि अपर्याप्त हैं। आवासीय परिसर हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यक कार्यवाही श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार व निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपेक्षित है।

नोडल अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा)

शाहपुरा मुख्यालय

न्यायालय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा	हॉ	हॉ	2.9 बीघा	N.A.
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	नहीं		नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	नहीं	नहीं		वर्तमान परिसर की भूमि पर्याप्त नहीं है इसलिए समस्त आधारभूत सुविधाओं हेतु वर्तमान न्यायालय परिसर के समीप भूमि की आवश्यकता है।

आवासीय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा	हॉ	हॉ	--
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	नहीं(टाईप–3)	कमोन्नत के लिए उपलब्ध
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	हॉ	..

शाहपुरा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय संचालित है, जिनमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा नवनिर्मित्त भवन में तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा पूर्व से निर्मित्त पुराने भवन में संचालित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा का न्यायालय वर्तमान में स्थानीय अभिभाषक

संस्था द्वारा प्रदत्त भवन में संचालित होकर पेटर्न अनुसार नहीं है। भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं, अभियोजन कार्यालय, लोक अभियोजक कार्यालय तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर इत्यादि के निर्माण के लिए भी भूमि की आवश्यकता रहेगी तथा उक्त आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए न्यायालय भवन हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं है जिस बाबत् शाहपुरा के पीठासीन अधिकारीगण तथा अधिवकतागण के साथ बैठक आयोजित की गई जिनके द्वारा भी यह सहमति प्रकट की गई कि वर्तमान में उपलब्ध भूमि में न्यायालय भवन हेतु आधारभूत सुविधाए उपलब्ध भूमि में पूरी नहीं की जा सकती है। जिस बाबत् अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसे हेतु अधिवक्तागण व पक्षकारान की सुविधा अनुरूप एवं उपरोक्त आधारभूत सुविधायुक्त तथा भविष्य में न्यायालय के नवसृजन को दृष्टिगत रखते हुए **लगभग 20 बीघा भूमि के आवंटन की आवश्यकता है** इस अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा ।

<u>शाहपुरा मुख्यालय पर आवासीय परिसर</u>

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर तीन न्यायिक अधिकारी पदस्थापित है परन्तु एक ही राजकीय आवास टाईप 3 का होकर उसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा निवास कर रहे है। एसीजेएम. शाहपुरा के टाईप–3 के 01 आवास को अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप ।। के आवास में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट की मांग माननीय उच्च न्यायालय से करने हेतु पुनः निवेदन किया जावें।

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर दो नवनिर्मित आवासीय भवनों क्रमशः टाईप–1 व टाईप– 2 का संबंधित पीठासीन अधिकारीयों द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त करने की सूचना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को जरिये पत्रांक 419 दिनांक 02.07.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः वर्तमान में अब अधिकारीगण के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

<u>प्रस्ताव :–</u>

01. न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा के न्यायालय भवन हेतु आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए भवन निर्माण बाबत् प्रस्ताव मय साईट प्लान पुनः भेजने हेतु अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा को लिखा जाना व समीपवर्ती अन्य भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करें तथा जिला प्रशासन, न्यायालय परिसर के समीपवर्ती भूमि का आवंटन करावें।

02. अतः एसीजेएम. शाहपुरा के टाईप–3 के 01 आवास को अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप ।। के आवास में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट की मांग माननीय उच्च न्यायालय से करने हेतु नोडल ऑफिसर द्वारा पुनः निवेदन किया जाना अपेक्षित है।

03. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करें।

04. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही अपेक्षित– एडीजे. शाहपुरा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा)

गंगापुर मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर	नहीं	नहीं	0.72 बीघा	नहीं
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	हॉ	नहीं		नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर	नहीं	नहीं		नहीं

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर	नहीं	नहीं	नहीं
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर	नहीं	नहीं	नहीं

गंगापुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

गंगापुर मुख्यालय पर 02 न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है। दिनांक 26.05.2021 को विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1265 दिनांक 04.06.2021 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर न्यायालय का सृजन किया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर वर्तमान में गंगापुर मुख्यालय पर 03 न्यायालय है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 188 दिनांक 15.04.22 द्वारा ग्राम डेलाना प0ह0 डेलाना के बिलानाम आराजी नं. 2875/786 रकबा 2.1 है0 भूमि चारागाह में परिवर्तन किये जाने की अनुशंषा के साथ रिपोर्ट मूल पत्रावली सहित जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित की है। अतः इस हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यक कार्यवाही जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपेक्षित है।

इस सबंध में भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय/लोक अभियोजक कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए गंगापुर–भीलवाड़ा मार्ग पर या वर्तमान न्यायालय परिसर के सामने उपयुक्त भूमि उपलब्ध है जिसके आवंटन बाबत् अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु न्यायालय भवन व आवासीय भवनों का निर्माण किया जा सके, जिस हेतु पीठासीन अधिकारी गंगापुर को स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ करने की कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं तथा भविष्य में न्यायालयों के नवसृजन को दृष्टिगत रखते हुए **करीबन 15 बीघा भूमि की आवश्यकता है** जिस हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारी को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटित की कार्यवाही अपेक्षित है।

अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, गंगापुर द्वारा अवगत कराया गया कि गंगापुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के पास स्थित जलदाय विभाग भवन इस वर्ष अगस्त 2023 में रिक्त होने की संभावना है। गंगापुर मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय संचालित है तथा दो न्यायालयों के संचालन हेतु भवन उपलब्ध नही

है। इस हेतु यदि जलदाय विभाग का भवन रिक्त होता है तो कोई एक न्यायालय के संचालन हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार कर वैकल्पिक तौर पर जलदाय विभाग का भवन प्राप्त कर कोई भी एक न्यायालय वहॉ संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव:–

इस संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर स्थानीय प्रशासन से पत्राचार/ समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र न्यायालय परिसर के पास स्थित जलदाय विभाग भवन के रिक्त होने पर न्यायालय संचालन हेतु वैकल्पिक तौर पर प्राप्त करने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा तथा एस डी एम, ए.डी.जे. व ए सी जे एम गंगापुर)**

गंगापुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर हेतु टाईप–2 का आवास उपलब्ध है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर हेतु टाईप–1 आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर को न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के आवास हेतु पर्याप्त एवं उचित भूमि चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन ने समन्वय स्थापित कर अविलम्ब आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ करें। **उपरोक्त न्यायालयों के लिए यदि 15 बीघा भूमि आवंटित की जाती है तो न्यायिक अधिकारीगण के आवास बाबत् पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर गंगापुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर के प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को पत्र जारी किया गया हैं। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर से कार्यवाही अपेक्षित हैं।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. एस.डी.एम, गंगापुर ए.डी.जे. व ए.सी.जे.एम. से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र उक्त तीनों न्यायालयों एवं उन दोनों पीठासीन अधिकारियों के आवास हेतु पर्याप्त एवं उचित भूमि चिन्हित कर अविलम्ब आवंटन की कार्यवाही करावे।
2. ए.सी.जे.एम. गंगापुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।
3. न्यायिक अधिकारी हेतु राजकीय आवास हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
4. ए.सी.जे.एम. गंगापुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर एस डी एम, ए.डी.जे. व ए सी जे एम गंगापुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

जहाजपुर मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		

01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	नहीं	नहीं	2 बीघा	नहीं
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	हॉ	नहीं		नहीं

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	नहीं	नहीं	हॉ
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	हॉ	हॉ (टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध

जहाजपुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

जहाजपुर मुख्यालय पर वर्तमान में 02 न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने पुराने भवन में संचालित है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय अभिभाषक संस्था द्वारा उपलब्ध भवन में संचाालित हो रहा है। वर्तमान में जहाजपुर न्यायालय हेतु आवंटित भूमि अपर्याप्त दर्शित होने वर्तमान में जहाजपुर मुख्यालय पर न्यायालय भवन तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिकेशन रूम, केंटीन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेन्डर्स टाईपिस्ट, अभियोजन कार्यालय आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्ररी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर इत्यादि के निमार्ण के लिए हेतु अतिरिक्त भूमि 80 फीट X 60 फीट के आवंटन हेतु प्रक्रिया नगरपालिका, जहाजपुर के पत्रांक 685 दिनांक 15.06.2020 के अनुसार नगरपालिका, जहाजपुर के स्तर पर लंबित है। **न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर के पत्रांक 57, दिनांक 06.08.2021 द्वारा न्यायालय परिसर के लिए 10 बीघा भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिस कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1647, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प0ह0जहाजपुर के आ0न0 7554/6084 रकबा 94–10 बीघा भूमि हेतु प्रस्ताव तैयार कर मय चैक लिस्ट एवं अभिशंषा के उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को भिजवाया है जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के स्तर पर लंबित हैं।**

जहाजपुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

जहाजपुर मुख्यालय टाईप–2 के एक आवास की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 916 दिनांक 12/11/2014 के अनुसरण में वर्तमान में जहाजपुर मुख्यालय पर स्थित टाईप– 3 के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष जरिये पत्रांक 132 दिनांक 18.12.2020 प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित है। राजकीय आवास हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर ने 2.10 बीघा भूमि का सुपुर्दगीनामा ले लिया है तथा राजकीय आवास के निर्माण हेतु राशि 83.52 लाख का एस्टीमेट सार्वजनिक निर्माण विभाग से टाईप–2 आवास के निर्माण बाबत् प्राप्त हुआ है, जिसे बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को भिजवाया जावें। **न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर के पत्रांक 57, दिनांक 06.08.2021 द्वारा ए.सी.जे.एम.आवास हेतु 03 बीघा भूमि, ए.डी.जे.आवास हेतु 03 बीघा भूमि एवं न्यायिक कर्मचारीगण हेतु 06 बीघा भूमि कुल 12 बीघा भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिस पर कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1649, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह.जहाजपुर के आ0न0 7576/6086 रकबा 25–18 बीघा कुल 03 बीघा ए.डी.जे.के आवास हेतु, पत्रांक राजस्व/2021/1646, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर के आ0न0 7576/6086 रकबा 25–18 बीघा कुल 03 बीघा ए.सी.जे.एम.के आवास हेतु, पत्रांक राजस्व/2021/1648, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर के आ0न0 7554/6084 रकबा 94–10 बीघा न्यायिक कर्मचारीगण के आवास हेतु 06 बीघा भूमि का प्रस्ताव तैयार कर मय चैक लिस्ट एवं अभिशंषा के उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को भिजवाया है, जिसकी प्रति जिला कलेक्टर को भिजवाई हुई है नोडल ऑफिसर द्वारा भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर से पत्राचार किया जाना अपेक्षित हैं।**

जहाजपुर मुख्यालय पर स्थित टाईप–3 राजकीय आवास को टाईप–2 में कमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तखमीना तैयार कराया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजकीय आवास को कमोन्नत करने हेतु बजट आवंटन किया जाना अपेक्षित हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में 15 प्रतिशत राजकीय आवास न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।**

<u>प्रस्ताव :–</u>

1– जिला कलेक्टर, **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर से समन्वय स्थापित कर** भूमि के आवंटन की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करावें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा व उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर)

2– टाईप– 3 के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को प्रेषित किया जाने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजट आवंटन किया जाना अपेक्षित हैं।

3– ए.सी.जे.एम. जहाजपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

4– ए.सी.जे.एम. जहाजपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर)

<u>गुलाबपुरा मुख्यालय</u>

<u>न्यायालय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा	नहीं	नहीं	नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र कमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्गफीट) भूमि आंवटित की गयी।	10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्ग फीट) भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि पर एडीजे न्यायालय भवन , कार्यालय भवन मय आधार भूत सुविधा का निर्माण प्रस्तावित है।

02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	हॉ	नहीं	123 × 221 फीट	नहीं

आवासीय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा	नहीं	नहीं	नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र कमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्गफीट) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। उक्त भूमि पर एडीजे न्यायालय भवन, कार्यालय भवन, न्यायिक अधिकारी आवास का निर्माण प्रस्तावित है।
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.

गुलाबपुरा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र कमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्गमीटर (1,16,647 वर्गफीट/4.28 बीघा) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। गुलाबपुरा मुख्यालय पर वर्तमान में 02 न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने पुराने भवन में संचालित है तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय हेतु स्वयं का भवन नहीं होकर स्थानीय बार एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में उक्त न्यायालय संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 3718.35 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है व निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में गुलाबपुरा मुख्यालय पर न्यायालय भवन व राजकीय परिसर हेतु आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय हेतु आवंटित भूमि के निकट जैल है तथा जैल निर्माण हेतु अन्य जगह भूमि आवंटित हो चुकी हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि के निकट जेल की भूमि तथा वर्तमान मे चल रहे न्यायालय की भूमि व उसके पास की भूमि को शामिल करते हुए अन्य भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा उक्त भूमि पर ए.डी.जे. न्यायालय भवन, कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, केच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, ए.डी.आर. सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए नगर पालिका एवं प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा को कुल **करीबन 10 बीघा भूमि के आवंटन की** कार्यवाही संपादित करे।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को 10 बीघा भूमि न्यायालय भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

गुलाबपुरा मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा हेतु टाईप–2 का राजकीय आवास उपलब्ध है किन्तु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा के निवास हेतु राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके निर्माण बाबत नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र कमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्गमीटर (1,16,647 वर्गफीट/4.28 बीघा) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। उक्त भूमि पर ए.डी.जे.

न्यायालय भवन, कार्यालय भवन, न्यायिक अधिकारी आवास का निर्माण प्रस्तावित है। **न्यायालय हेतु करीबन 10 बीघा भूमि आवंटन होने पर पृथक से राजकीय आवास हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं रहेगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

<u>प्रस्ताव :–</u>

1– आवंटित भूमि के निकट जैल है जिसे अन्य जगह जैल निर्माण हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है अतः न्यायालय हेतु आवंटित भूमि के निकट जैल की भूमि तथा वर्तमान मे चल रहे न्यायालय की भूमि व उसके पास की भूमि को शामिल करते हुए तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए **10 बीघा भूमि न्यायालय भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।**

2– एडीजे गुलाबपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासों के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करे।

3– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, ए.डी.जे. गुलाबपुरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

<u>माण्डल मुख्यालय</u>

<u>न्यायालय भवन</u>

कम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	नहीं	नहीं	03–04 बीघा	नहीं
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	हॉ	नहीं	36 मीटर X 62 मीटर	नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, माण्डल	हॉ	हॉ	3.04 बीघा	N.A.

<u>आवासीय भवन</u>

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	नहीं	नहीं	हॉ (01 बीघा 04 बिस्वा भूमि आवंटित होकर

02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	हाँ	नहीं	टाईप–2 के तीन आवासों के लिए उपलब्ध है)
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, माण्डल	नहीं	नहीं	

माण्डल मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

माण्डल मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ग्राम न्यायालय संचालित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तहसील परिसर में ही स्थित भवनों में चल रहे है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्वयं के पुराने भवन में संचालित है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय अभिभाषक संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में संचालित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल हेतु जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश संख्या 3056 दिनांक 11.12.2020 द्वारा 03–04 बीघा भूमि पृथक से आवंटित की। आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं मजहर सुल्तान व अन्य बनाम यूपीएससी के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों व राजगढ़ बार एसोसिएशन बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 2428/2018 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2019 के अनुरूप अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, केच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए भी भूमि की आवश्यकता रहेगी। वर्तमान में माण्डल मुख्यालय पर **न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारीगण के आवास हेतु 10–15 बीघा भूमि की आवश्यकता है** जिस बाबत पीठासीन अधिकारी को उक्त भूमि के आवंटन बाबत स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही करें।

माण्डल मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में माण्डल न्यायालय परिसर में जर्जर अवस्था में टाईप–3 का एक आवास उपलब्ध है जो कि सरकार द्वारा दिया गया है, जो आवास के योग्य नहीं है। दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार दो न्यायालयों तथा तीन न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता होने से जिला प्रशासन द्वारा अभी हाल में 1.04 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जो वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु अपर्याप्त है तथा इसके समीपवर्ती भूमि को भी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवंटित किए जाने बाबत पीठासीन अधिकारी कार्यवाही करें। यदि न्यायालय हेतु **यदि आधारभूत सुविधाओ युक्त 10–15 बीघा भूमि स्थानीय प्रशासन द्वारा आवंटित कर दी जाती है तो न्यायिक अधिकारीगण के आवास बाबत् पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts/Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22.08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासों के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. वर्तमान में जे.एम. न्यायालय हेतु भवन पुराना हो चुका है एवं ए.सी.जे.एम. माण्डल हेतु भवन उपलब्ध नहीं है। अतः दोनों न्यायालय भवन एक ही परिसर में हो सके हेतु एवं भविष्य में नये न्यायालय सृजित होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये **10–15 बीघा भूमि की** अतिरिक्त आवंटन हेतु कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

2. ए.सी.जे.एम. माण्डल स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

3. ए.सी.जे.एम. माण्डल स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।
(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल)

ग्राम न्यायालय, सुवाणा

ग्राम न्यायालय, सुवाणा

यह न्यायालय भीलवाड़ा मुख्यालय से 8 किमी. की परिधि में स्थित है। उक्त न्यायालय पर्याप्त परिसर की भूमि पर स्थित है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि मूलभूत सुविधाए सुनिश्चित करें।

ग्राम न्यायालय, सुवाणा आवासीय परिसर

न्यायाधिकारी के आवास हेतु वर्तमान में सुवाणा में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इस सबंध में न्यायाधिकारी ने इस कार्यालय को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा सुवाणा से दो कि.मी. की दूरी पर ही स्थित है इसलिए मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा में ही आवास हेतु कोई भूमि उपलब्ध हो तो वहां आवास निर्माण करवाया जाना सुरक्षित एवं उचित है। यदि भीलवाडा में पर्याप्त **भूमि आवंटन होने पर भविष्य में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सुवाणा हेतु राजकीय आवास हेतु पृथक से भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्तावः

1. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा के आस–पास ही आवास निर्माण हेतु कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो तो शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

2. नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

3. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निदेशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।
(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय सुवाणा)

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		

01	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द	हॉ	हॉ	4.2 बीघा	N.A.
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां	हॉ	नहीं	3.44 बीघा	हॉ
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी	हॉ	हॉ	10 बीघा	N.A.

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नही
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

उपरोक्त तीनों मुख्यालयों पर पर्याप्त स्थान वाले स्वयं के न्यायालय भवन उपलब्ध है। आसीन्द एवं कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय भवन नवनिर्मित्त है तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि सुविधाए सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही तीनों मुख्यालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है।

बिजौलिया मुख्यालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, बिजौलिया ने बिजौलियां मुख्यालय पर निर्मित बार रूम के उपर एक ओर कक्ष बनवाने जाने के संबंध में अवगत करवाया गया जिसके संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां को संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल से समन्वय स्थापित कर उक्त के संबंध में कार्यवाही कर प्रस्ताव/रिपोर्ट इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – बिजौलियां मुख्यालय)**

कोटड़ी मुख्यालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, कोटड़ी ने कोटड़ी मुख्यालय पर अधिवक्ताओं व पक्षकारान के बैठने के लिए भवन, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, पक्षकार गवाहों के लिए लिटिगेंट शेड और जन सुविधाओं की व्यवस्था बाबत अवगता करवाया गया जिसके संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी अधिवक्ताओं की संख्या के आधार पर चैम्बर की संख्या निर्धारित कर संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल से समन्वय स्थापित कर उक्त के संबंध में कार्य कर प्रस्ताव/ रिपोर्ट/विस्तृत अनुमानित तखमीना/ साईट प्लान आदि तैयार करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – बिजौलियां मुख्यालय)**

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में तीनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पास आवास हेतु टाईप–3 के आवास उपलब्ध है जो माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 916 दिनांक 22/11/2014 के अनुरूप वर्तमान में टाईप–3 मकान में रहने वाले अधिकारी के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द से टाईप 3 आवास को टाईप 2 में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, आसीन्द से तखमीना तैयार कराया जाकर प्रेषित किया गया हैं। जो बजट आवंटन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को जरिये पत्रांक 631, दिनांक 30.11.2021 को भिजवाया जा चुका हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय हेतु अतिरिक्त 10 बीघा भूमि का का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के माध्यम से जिला कलेक्टर को भिजवाया गया हैं, जो जिला कलेक्टर स्तर पर लंबित हैं।

<u>प्रस्ताव</u> :–

1. अतः नोडल अधिकारी बिजौलिया एवं कोटड़ी दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के टाईप–3 के आवास को टाईप–2 में क्रमोन्नत करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट हेतु मांग प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजेगें ताकि माननीय उच्च न्यायालय से बजट की मांग की जा सके।

अतः नोडल ऑफिसर द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित न्यायालय से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सम्पादित करेंगे जिससें आवश्यक बजट के लिए माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जा सके।

2. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

3. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

4. न्यायालय भवन कोटड़ी के लिए अतिरिक्त 10 बीघा भूमि प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय)

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय</u>

<u>न्यायालय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	11 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	

<u>आवासीय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	नहीं

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय पर न्यायालय परिसर</u>

वर्तमान में माण्डलगढ़ मुख्यालय पर दो न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा भी केम्प आयोजित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय एस.डी.एम. भवन की प्रथम मंजिल में एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उपलब्ध करवाए गए किसान भवन में संचालित किया जा रहा है, जो दोनों एक ही परिसर में है। उक्त दोनों न्यायालय के भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु वर्तमान में स्थित न्यायालयों से करीब 5 किमी. की दूरी पर **11 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है** किन्तु उपरोक्त तीनों न्यायालयो हेतु तथा भविष्य में न्यायालयों, अधिवक्तागण तथा पक्षकारानों की बढती सख्या को देखते हुए माण्डलगढ हेतु आवंटित भूमि अपर्याप्त है तथा आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं मजहर सुल्तान व अन्य बनाम यूपीएससी के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देर्शो व राजगढ बार एसोसियेशन बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 2428/2018 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2019 के अनुरूप अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए भी **05 बीघा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता** हेतु इस न्यायालय को पूर्व में आवंटित भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन कराये जाने के संबंध में ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ ने जरिये पत्र क्रमांक 141 दिनांक 05.04.2022 से पालना रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार अति0जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक 1368 दिनांक 25.01.2022 उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को ग्राम भारजी का खेड़ा में पूर्व में आवंटित आराजी नंबर 240 रकबा 6.6935 है, वो भूमि के समीप 05–00 बीघा जो कि चारागह होकर वर्तमान में नगर पालिका माण्डलगढ़ के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ को जरिये पत्रांक 305 दिनांक 07.03.2022 द्वारा लिखा गया है। अतः कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ से अपेक्षित है।

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय पर आवासीय परिसर</u>

उक्त मुख्यालय पर वर्तमान में केवल टाईप–2 का आवासीय भवन उपलब्ध है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु कोई आवास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है जिस हेतु ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें। न्यायालय हेतु पूर्व में **आवंटित 11 बीघा भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22.08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।**

<u>प्रस्तावः–</u>

ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे आवंटितशुदा भूमि पर निर्माण प्रकिया आगे बढ़ाने तथा आवंटन आवंटित भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भूमि चिन्हित कर हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ से निरन्तर सम्पर्क कर कार्यवाही करें। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)**

अतः नोडल अधिकारी माण्डलगढ मुख्यालय पर पदस्थापित पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करे अथवा पूर्व में आवंटित 11 बीघा भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन की कार्यवाही करे जिसके आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 482 दिनांक 04.04.2022 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपखण्ड माण्डलगढ़ मुख्यालय पर कुल 14 राजकीय आवास उपलब्ध होकर एक न्यायिक अधिकारी को एवं एक न्यायिक कर्मचारी को आवंटित है।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़)

रायपुर मुख्यालय

रायपुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

रायपुर मुख्यालय पर हाल ही में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय नवसृजित हुआ है। उक्त नवसृजित न्यायालय हेतु भवन बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को न्यायालय हेतु आवंटित गया गया है। आवंटित भवन में आवश्यक मरम्मत हेतु बजट मांग की गई है, जो हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा उक्त बजट अनुसार वांछित मरम्मत एवं निर्माण कार्य शीघ्र कराने बाबत संबधित पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिए गए है । **न्यायालय हेतु करीब 15 बीघा जमीन की आवश्यकता रहेगी ।**

इस बाबत आवंटन कार्यवाही हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को निर्देशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क किया गया, जिस पर कोर्ट परिसर हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम जगपुरा पटवार क्षेत्र सगरेव के आराजी नम्बर 330 रकबा 2.41 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 653/333 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि के लिए सरपंच ग्राम पंचायत थला (भीलखेड़ी), ग्राम पंचायत बागोलिया (सुरास) एवं सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव (जगपुरा) द्वारा भूमि आवंटन पर सहमति दी गई हैं।

अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, गंगापुर ने **अवगत कराया कि** रायपुर मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित न्यायालय भवन में पूर्व में एक बड़ा हॉल न्यायालय संचालन हेतु दिया गया था। जिस पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा कुछ भाग पुनः लिया जाकर वहॉ पर ताला लगा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर/ गंगापुर उपखण्ड अधिकारी से पत्राचार/ समन्वय स्थापित कर उक्त हॉल न्यायालय परिसर हेतु आवंटन करने बाबत् कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर/ गंगापुर, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर मुख्यालय)**

रायपुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में रायपुर मुख्यालय पर नवसृजित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के निवास हेतु राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है। **न्यायालय हेतु 15 बीघा जमीन में राजकीय आवास की पूर्ति हो सकती है पृथक से भूमि के आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी ।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. ए.सी.जे.एम. रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारी के आवास हेतु 15 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन बाबत् स्थानीय निकाय से सम्पर्क स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर, तहसीलदार /उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर)

अतः नोडल अधिकारी रायपुर मुख्यालय पर पदस्थापित पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें अथवा 15 बीघा भूमि आवंटन की कार्यवाही करें जिसके आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ए.सी.जे.एम. रायपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

ए.सी.जे.एम. रायपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर)

भीलवाड़ा मुख्यालय पर पार्किंग व्यवस्था बाबत्

भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में चौपहियां एवं दुपहिया वाहनों हेतु जो चिन्हित स्थान है वो वह पर्याप्त नहीं है। निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि पार्किंग का विस्तार संभव नहीं है। इस बाबत् पूर्व में कई सार्थक प्रयास भी किए गए भविष्य में भूमि आवंटन के आधार पर ही पार्किंग व्यवस्था को सुचारू किया जा सकेगा।

अतः भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के न्यायिक मुख्यालयों की उक्तानुसार न्यायलय भवन, आधारभूत सुविधाएं एवं न्यायिक अधिकारीगण आवास की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार उल्लेखित प्रस्ताव का जरिये जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार, जिला न्यायालय सर्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वयन कराये जानें का निर्णय बैठक में लिया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा)
वर्तमान न्यायालय परिसर भीलवाड़ा में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में :–

वर्तमान भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 1500 है तथा प्रतिदिन उक्त न्यायालय परिसर में 1000 से 1200 पक्षकारान् व अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर में आते है, जिनके पेयजल के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल हेतु न्यायालय परिसर में एक बोरिंग कराया जाना तथा एक आर.ओ. प्लाण्ट लगाया जाना अपेक्षित है।

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीयों की सुरक्षा बाबत्

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/1260/2021/1531 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्रकरण संख्या D.B. Civil Writ Petition No. 2428/2018 Bar Association Vs. State of Rajasthan and ors. में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना में भीलवाड़ा जिले के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा हेतु न्यायालय भवन में व उनके निवास स्थल पर सुरक्षा हेतु व्यवस्था किये जाने बाबत् जरिये पत्रांक 11736 दिनांक 31.07.2021 व 11935 दिनांक 04.08.2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को लिखा गया था तथा पत्रांक 5109–5110 दिनांक 19.05.2022 द्वारा भी जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा व पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को न्यायालय परिसर में व न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कॉलोनी में कैमरे एवं पुलिस चौकी/पुलिसकर्मी लगाये जाने बाबत् लिखा गया था। जिसके क्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के पत्रांक 23302 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उक्त कार्य के संबंध में प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को मनोनित किया गया एवं कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 7547–50 दिनांक 23.05.2022 द्वारा न्यायालय परिसर में व न्यायिक अधिकारियों की कोटा रोड स्थित आवासीय कॉलोनी में समुचित स्थानों पर कैमरे लगाये जाने व पुलिस चौकी/ पुलिसकर्मी को लगाए जाने संबंधी कार्य हेतु ज्येष्ठा मैत्रेयी (आईपीएस) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) भीलवाड़ा को प्रतिनिधि अधिकारी नियुक्त किया गया। इसी क्रम में दिनांक 10.06.2022 को नोडल अधिकारी (भवन) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के अवकाशागार में आहूत की गई मीटिंग में जिला न्यायालय परिसर व मजिस्ट्रेट कॉलोनी, सुवाणा रोड़, भीलवाड़ा में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस चौकी/ पुलिसकर्मी लगाये जाने बाबत् निर्णय लिये गये व समय–समय पर संबंधित अधिकारीगण से पत्राचार भी किया गया। जिसके संबंध में सीसीटीवी कैमरे की कार्यवाही जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा/ जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के स्तर पर अपेक्षित है। भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर व मजिस्ट्रेट कॉलोनी, सुवाणा रोड़, भीलवाड़ा में सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाये जाने बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को एस्टीमेट भिजवाये जा चुके है तथा बजट आवंटन के अभाव में कार्यवाही लंबित है।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा/ जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

वर्तमान न्यायालय परिसर भीलवाड़ा में आवश्यक मरम्मत व देखरेख के कार्य के संबंध में :–

भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में स्थित समस्त न्यायालयों, कार्यालय, कॉरिडोर, बंदीगृह, गार्डकक्ष आदि में मरम्मत व रंग–रोगन करवाया जाना आवश्यक है। इसमें विशेषकर महिला प्रसाधन,

सामान्य प्रसाधन सुविधा हेतु अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करवाया जाना है। न्यायालय परिसर में नियमित साफ–सफाई के कार्य की भी आवश्यकता है। भीलवाडा न्यायक्षेत्र में न्यायालय परिसर व आवासीय परिसर की मरम्मत हेतु बजट आवंटित है लेकिन मरम्मत कार्य धीमी गति से किया जा रहा है तथा न्यायालयों के मरम्मत तथा विद्युत कार्य हेतु बजट आवंटित किया गया है जिस बाबत् कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। निर्धारित समयावधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासों के कार्य हेतु बजट आवंटित किये गये है जिसके उपयोग हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

<u>प्रस्ताव</u> :–

1. वर्तमान भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 1500 है तथा प्रतिदिन उक्त न्यायालय परिसर में 1000 से 1200 पक्षकारान् व अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर में आते है, जिनके पेयजल के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल हेतु न्यायालय परिसर में एक बोरिंग कराया जाना तथा एक आर.ओ. प्लाण्ट लगाया जाना अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर)**

2. भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायालय में सफाई हेतु समुचित सफाईकर्मी नहीं है। इस बाबत् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा को न्यायालय परिसर में उचित साफ–सफाई बाबत् सफाई कर्मचारीयों की संख्या बढाये जाने बाबत् निर्देश प्रदान करवावे। अतः इस संबंध में कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा से अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा)**

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों तथा राजकीय आवास की मरम्मत हेतु आवंटित बजट का उपयोग निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करे व मरम्मत कार्यो के कार्यादेश **G-Schedule** नोडल अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा) को प्रेषित करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–नोडल अधिकारी भीलवाड़ा, अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., भीलवाड़ा, आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा)

<u>पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण नहीं होने के कारण और उनके त्वरित निस्तारण के उपाय :–</u>

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में दिनांक 31.05.2023 को 18339 पांच वर्ष पुराने प्रकरण और 1772 दस वर्ष पुराने प्रकरण लम्बित है। पुराने प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण नहीं हो पाने के कई कारण सामने आये है जैसे–पुलिस द्वारा साक्षीगण की तामील समय पर नहीं कराना, तामिल के पश्चात् सम्मन/वारंट नहीं लौटाना, अभियुक्तगण के गिरफ्तारी वारंट की पालना नहीं कराना, अभिभाषकगण द्वारा अनावश्यक स्थगन लेना, पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के अनावश्यक स्थगन देना, प्रकरणों की पत्रावलियों में प्रभावी आदेशिकाएं नहीं लिखना, पुराने प्रकरणों में लम्बी तारीख पेशी देना, प्रकरण जिस स्तर पर नियत है उस स्तर पर त्वरित कार्यवाही करना जैसे त्वरित गति से विवाद्यक विरचित नहीं करना व आरोप विरचित नहीं करना आदि विभिन्न कारणों से पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की स्थिति सामने आई है।

अतः इस संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देशित किया जावे कि ऐसे पांच वर्ष व दस वर्ष पुराने प्रकरणों में प्रभावी आदेशिकाएं लिखे। प्रकरण में अनावश्यक स्थगन नहीं दे, लम्बी तारीख पेशी नहीं दे तथा प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक की ओर से यह आश्वस्त किया गया कि साक्षीगण व अभियुक्तगण की तामिल के संबंध में वे संबंधित थानाधिकरियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

<u>असत्य, बिना किसी आधार के और विधिक प्रावधानों के विरूद्ध प्रकरण संस्थित होने के संबंध में :–</u>

समिति के ध्यान में यह लाया गया है कि कई बार ऐसे प्रकरण संस्थित होते है जो कि विधि के अनुकूल नहीं होते है, असत्य होते है तथा दुर्भावना से प्रेरित होते है। जिसके कारण से पक्षकार की न्याय व्यवस्था के संबंध में प्रतिकूल धारणा धारण की जाती हैं। ऐसे प्रकरणों के लंबित रहने को रोका जाना आावश्यक है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाना आावश्यक है कि ऐसे प्रकरण जो असत्य, विधि प्रावधानों के विरूद्ध बिना किसी आधार के हो, उनको रोकने का प्रयास करें तथा विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करें। जिससे ऐसे प्रकरण संस्थित नहीं हो तथा पक्षकारों में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे ।

<u>क्रॉस केस के संबंध में :–</u>

समिति के द्वारा चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फौजदारी प्रकरणों में कई बार दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए क्रॉस केस दर्ज किया जाता है और इस संबंध में बचाव किया जाता है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वास्तविक प्रकरणों को ही न्यायालय द्वारा विचार किया जावे, क्योंकि ऐसे प्रकरणों के संस्थित होने से ना केवल प्रकरणों के लम्बित होने की संख्या में वृद्धि होती है वरन् जिस व्यक्ति के विरूद्ध झूठा क्रोस केस दर्ज होता है, उसको भी अनावश्यक परेशानी होती है ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि वे जिले के थानाधिकारियो/अनुसंधान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करेंगे कि क्रॉस–केस के प्रकरणों में निष्पक्ष व सही रूप से अनुसंधान कर नतीजा प्रस्तुत करें।

न्यायालय प्रबंधन और प्रकरण प्रबंधन :–

समिति द्वारा सम्पूर्ण चर्चा के पश्चात् यह पाया गया कि न्यायालय की दैनिक वाद सूची में उतने ही प्रकरणों को लगाया जावें जितने केस में प्रभावी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी कर सकें और व्यवस्थित रूप से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके और पक्षकार को लाभ मिल सकें। सुविधा की दृष्टि से न्यायालय के प्रारम्भ कालीन समय में आरोप विरचित करना, विवाद्यक विरचित करना, प्रकरणों में आदेश पारित करना, साक्षीबद्ध के बयान लेखबद्ध किया जाना, सम्मन/वारंट की तामील के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जा सकता है। तत्पश्चात् ऐसे प्रकरणों को रखा जा सकता है, जिनमें बहस होनी हो और जिन प्रकरणों में ज्यादा समय लगने की संभावना हो। पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है साथ ही सीआईएएस का इन्द्राज भी सही तरीके से किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में समस्त न्यायिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलाया जाना आवश्यक है।

अनावश्यक स्थगन, अनावश्यक लम्बी प्रतीपरीक्षा, अनावश्यक लम्बी मौखिक बहस के संबंध में :–

विचार–विमर्श के दौरान समिति के ध्यान में यह लाया गया कि कई बार अनावश्यक व लम्बी प्रतिपरीक्षा साक्षीगण से की जाती है। जिसके कारण न केवल न्यायालय का बहुमूल्य समय खराब होता है वरन् साक्षी व पक्षकार का न्यायालय के प्रति विश्वास भी कम होता है और अनावश्यक साक्षी/पीड़ित पक्ष को परेशानी होती है और जो पक्षकारण प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है उसके द्वारा कई कारणों से अनावश्यक स्थगन लिये जाते है या अनावश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाते है। ऐसे प्रार्थनापत्रो का शीघ्र निस्तारण होना आवश्यक है जिससे नियमित प्रकरणों में व पुराने प्रकरणों में कार्यवाही की जा सके और उनका त्वरित निस्तारण हो सके और पुराने प्रकरणों को नजदीक तारीख पेशी दिया जाना भी आवश्यक है तथा अनावश्यक लम्बी बहस को रोका जाना आवश्यक है जिससे न्यायालय के बहुमूल्य समय न्यायालय प्रयोग में अधिकाधिक आ सके ।

त्वरित गति से प्रकरणों के निस्तारण के लिये प्ली–बार्गेनिंग, राजीनामा, मध्यस्थता के संबंध में भी पीठासीन अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है तथा परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के दुरूपयोग को रोकना और इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में भी पीठासीन अधिकारियो को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय में फर्नीचर व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में :–

न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारीगण को उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति की राय में पीठासीन अधिकारियों को लिखा जाना आवश्यक है कि उनके न्यायालय में प्राथमिकता के अनुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन और कूलर व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में आवश्यकतायें भिजवायें जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

भीलवाड़ा व मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायिक मुख्यालय की उक्तानुसार न्यायालय भवन, आधारभूत सुविधाएं यथा पेयजल, प्रसाधन, साफ–सफाई, आवश्यक मरम्मत एवं देखरेख हेतु प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व जिला प्रशासन को प्रेषित किये जाने का बैठक में निर्णय लिया गया तथा इस संबंध में पालना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक को सधन्यवाद सम्पन्न किया गया।

आशीष मोदी
जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा

अर्जुन शर्मा
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

पी.आर. मीणा
अधीक्षण अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
भीलवाड़ा

सुषमा शर्मा
नोडल अधिकारी (भवन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा